वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रु. 5/-
केवल आंतरिक परिचालन हेतु

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी
अंक मार्च - अप्रैल 09

हमारा प्रयास समानता के लिए है। समाज में जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हमारा समाज आज भी परम्परागत स्तर पर जातिगत बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया है।

- जी. करुणानिधि
महासचिव : ए.आई.एफ. ओ.बी.सी.ई.वे.ए.

हार्दिक बधाई
यूनियन बैंक के सभी अधिकारियों को जिन्होंने
विभागीय प्रोन्नति परीक्षा में सफलता प्राप्त की
यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी
कल्याण संघ उ0 प्र0
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय
ठकसाल थियेटर बिल्डिंग
नदेसर, वाराणसी - 221002
मो.: 9415392194

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी

अंक - 2 मार्च-अप्रैल 09

केवल आंतरिक वितरण हेतु

परामर्श
जी. करुणानिधि
जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम

संपादक एवं प्रकाशक
चंदन विश्वकर्मा

मानद संपादक
अमृतांशु

मानद सह संपादक
डा. हेमन्त कुशवाहा
विनोद प्रसाद शर्मा
नवीन कुमार यादव

सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार
अशोक कुमार, विजय कुमार
डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार
रामनाथ सिंह यादव
कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल
सुनील जायसवाल, जयशंकर प्रसाद
मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद
गोपाल जी शर्मा, सी.पी. सिंह,

पत्राचार
रामदेईकटरा
डी. 52/19, लक्सा रोड
वाराणसी, उ.प्र. 221007
दूरभाष : 0542-2405586

ई-मेल
aiobc.up@gmail.com

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर
नाटी इमली, वाराणसी

सहयोग राशि : 5 रुपये

आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण का मतलब

लोकसभा के चुनाव सम्पन्न होने वाले है। सभी पार्टियों द्वारा अपने अपने चुनावी एजेंडों को शामिल कर घोषणा पत्र जारी किए जा चुके हैं। इन घोषण पत्रों में एक तरफ जहाँ अपने तरीकों से देश की विकास की गति दिए जाने के वायदे किए गए है. वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं यानी आम आदमी को रिझाने के लिए संवेदनशील मुद्दों यानी जाति और धर्म पर भी लगभग सभी पार्टियों ने नए-नए वायदे किए है। संविधान की दृष्टि से देखें तो ये वायदे वाजिब नहीं लगते।

देश की एक प्रमुख पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वह आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देगी। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान देश के पहले संविधान संशोधन की तरफ ले जाना चाहूँगा। **तिथि 1 जून 1950 दिन बुधवार।** संसद सदन के पटल पर यह विमर्श का विषय था कि एसईबीसी SEBC (Socially Educationally Backward Classes) के स्थान पर SEEBC अर्थात सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को शामिल किया जाए। यानि आर्थिक आधार को पिछड़ेपन का आधार बनाया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु एवं विधि मंत्री श्री भीम राव अम्बेडकर ने यह कहते हुए अपनी असहमति जाहिर की थी कि यदि पिछड़ेपन का आधार आर्थिक बनाया जाएगा तब आरक्षण की मूल अवधारणा के साथ न्याय नहीं होगा, और यह प्रस्ताव सदन में 4 के मुकाबले 245 से गिर गया। हमें गर्व है अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरु और विधि मंत्री श्री अम्बेडकर सहित उन 245 माननीय सांसदों पर जिन्होंने अपने मत पिछड़ेपन के आधार के लिए केवल सामाजिक एवं शैक्षिणक स्तर को स्वीकार करने के पक्ष में दिए। ध्यान रहें यह दृश्य आज से 58 साल पहले, प्रथम संविधान संशोधन के वक्त की है।

ऐसे में आप सोचें कि राजनैतिक दलों द्वारा यदि अपने घोषणा पत्र में इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण दिया जाएगा तब क्या यह आम जनता को लुभाना नहीं है। क्या यह वोट की राजनीति नहीं है। क्या यह एक ऐसी घोषणा नहीं है जिसके विरोध में सदियों से बंचित रहे पिछड़े वर्गों के लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। प्रश्न यहाँ आरक्षण का नहीं है। प्रश्न है पिछड़े वर्गों के हितों को दरकिनार करने का। क्या यह राजनीतिक संकीर्ण दृष्टि का परिचायक नहीं है कि 1990 में आजादी के 43 वर्षों बाद पिछड़ों को केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नाम पर 27 प्रतिशत सुलभ कराए गए। आज भी 62 प्रतिशत की पिछड़ी जनता के लिए ऐसी कोई मशीनरी नहीं जो संविधान प्रदत्त सुविधाओं की सही अनुपालना सुनिश्चित कर सके। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास कोई अधिकार नहीं। कोई भी राजनीतिक पार्टी यह कह सकने की स्थिति में क्यों नहीं है कि वह सामुदायिक विकास का जिम्मा उठाएगी। वह पिछड़ो के लिए संसदीय समिति गठित करने एवं एनसीबीसी को अन्य आयोग की तरह मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए कदम बढ़ाएगी।

ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने है। जिसके तर्कपूर्ण जवाब के तलबगार देश की 62 प्रतिशत आबादी है। क्या किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के ताने बाने जनसंख्या के अनुसार पर समानुपांतिक प्रतिनिधित्व दिए बगैर बुने जा सकते हैं ?

क्या यह विचारणीय प्रश्न नहीं है कि जिस देश की तीन चौथाई से ज्यादा की आबादी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और समानता की लड़ाई में उलझा हो, वहाँ देश के विकास का प्रतिशत क्या होगा ? क्या यह गैरबराबरी, उपेक्षा और जन्म पर आधारित श्रेष्ठता खत्म नहीं होने चाहिए ? क्या सामाजिक संगठनों के लिए विचारणीय मुद्दा नहीं है ?

अमृतांशु

ब्लॉग : signpost2.blogspot.com

छत्रपति शाहू जी महाराज

हिन्दुस्तान की धरती महापुरूषों की धरती है। समय समय पर अनेकों महापुरूषों का अवतरण हुआ है। ऐसे ही एक युगपुरूष थे छत्रपति शाहू जी महाराज। छत्रपति शाहूजी महाराज अत्यंत दूरदर्शी, दृढ़प्रतिज्ञ एवं लोक कल्याणकारी शासक थे।

शाहू जी महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 में पेशवा शाही के राज्य महाराष्ट्र में कोल्हापुर के राजमहल में हुआ। शाहू जी महाराज के पिता का नाम श्री जय सिंह राव (आबा साहब) घातमे था, इनकी माता राधा बाई मुधोल के राजा साहेब की पुत्री थी। शाहू जी महाराज के बचपन का नाम यशवंत जय सिंह घातमें था। अल्पायु से ही काल के क्रूर चक्र ने शाहू जी महाराज धैर्य की परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। आपकी माता जी का देहांत 1877 में आपकी तीन वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, एवं 12 वर्ष की किशोरा अवस्था में 20 मार्च 1886 को आपको पिता की छत्र छाया से वंचित होना पड़ा। 11 मार्च 1884 को 10 वर्ष की आयु में कोल्हापुर की महारानी आंनदीबाई ने आपको गोद ले लिया। शाहू जी महाराज की प्रारम्भिक शिक्षा कोल्हापुर में ही के बी गोखले जी की देख रेख में सम्पन्न हुई। शाहू जी की अंग्रेजी भाषा में विशेष रूचि थी अतः उन्हें आगे की शिक्षा के लिए उन्हें राजकोट के राजकुमार कॉलेज भेजा गया। शाहू जी के पिता जी ने रिजेंट विलियम ली वार्नर के समक्ष इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इग्लैण्ड भेजा जाए। सन् 1888–1889 में राजाराम कॉलेज के प्रधानाचार्य सीएच केनेडी के दुर्व्यवहार के कारण कॉलेज छोड़ दिया। तब उनकी आगे की शिक्षा आई सी एस स्टुवर्ट मिंट फोर्ड के द्वारा की गई। 17 वर्ष की अवस्था में 1 अप्रैल 1891 में आपका विवाह बड़ौदा राज्य के जागिरदार गुणाजीराव खान बट्कर की पुत्री लक्ष्मी बाई के साथ सम्पन्न हुआ। लक्ष्मी बाई बड़ौदा नरेश गणपति राव गायकवार्ड की बहन की पौत्री थी। 10 मार्च 1994 में शाहू जी महाराज को प्रथम संतान पुत्री हुई। उनके दो पुत्र एवं दो पुत्रियां थी।

2 अप्रैल 1894 को 20 वर्ष की अवस्था में कोल्हापुर राजसिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुए। यहीं से शाहू जी के सामाजिक जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। उनके राज्याभिषेक के समय पुरोहित ने वेद मंत्रों का उच्चारण करने से इंकार कर दिया, इस आधार पर कि शाहू जी शुद्र है। एक बार शाहू जी महाराज तरणताल में स्नान करने गए वहां पर राजपुरोहित बिना स्नान किए मंत्रों का उच्चारण करने लगा। शाहू जी महाराज ने कहा आपकी तबीयत तो खराब नहीं, कहीं आपका दिमागी संतुलन तो नहीं बिगड़ गया, जो बिना नहाये मंत्रों का उच्चारण कर रहें है। पुरोहित ने कहा कि वैदिक मंत्र क्षत्रियों के लिए होते है तथा तभी स्नान करके बोले जाते है। शाहू जी महाराज ने पुछा कि पहले मैं क्षत्रिय था अब क्यों नहीं है। पुरोहित ने जवाब दिया जब तक आप हमें अपने से सर्वोपरि मानते रहे और राजतंत्र के अनुसार शासन चलता रहा तब तक आप क्षत्रिय थे और अब आप हर समय नीची जातियों के लोगों से घिरे रहते है। आपने उनके दिमाग खराब कर दिए हैं। महाराष्ट्र के अन्य ब्राम्हणों ने महाराज को सूचित किया कि यदि क्षत्रिय कहलाने की इक्छा रखते है तो उन्हें चाहिए कि दक्षिण भारत समेत कोल्हापुर के ब्राम्हणों से क्षत्रिय होने की सामूहिक घोषणा कराये, एवं उक्त घोषणा को मान्यता प्राप्त कराने के लिए संकेश्वर के शकराचार्य की सहमति अनिवार्य होगी। शाहू जी महाराज ने धार्मिक मठ की गद्दी पर सुयोग्य एवं चरित्रवान व्यक्ति को बैठाने की बात की तो ब्राम्हणों ने घोर विरोध किया। शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे ब्रम्हनालकर ने यहां तक घोषणा की कि शाहू जी को कोई संस्कार वेदोक्त पद्धति से करवाने का अधिकार नहीं है।

शाहू जी महाराज का दृढ़ मत था कि समाज सुधार के लिए सबसे पहले जनता को शिक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने अपने भाषणों में स्पष्ट कहा था कि जब तक शिक्षा का स्तर समाज के सभी वर्गों में समान नहीं होगा तब तक भेद भाव व छुआछूत बना रहेगा। उनका कहना था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार वे सामर्थ्य अनुसार जीवन भर करते रहेंगे। शाहू जी अपने राज्य के दलितों एवं पिछड़ों में शिक्षा का प्रसार काफी तेजी से देखना चाहते थे परन्तु उनके अथक प्रयासों के बाद भी प्रगति आशानुकूल नहीं रही। अतः 28 मई 1913 को एक राजाज्ञा जारी की गयी जिसमें प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान था, एवं उसकी व्यवस्था उसी गांव के बहुसंख्यक जाति के व्यक्ति को सौंपी गयी।शाहू जी के राज्य में प्राथमिक शिक्षा सन् 1912 से निशुल्क कर दी गई एवं 1917 से शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य हो गई। शाहू जी महाराज स्त्रियों की शिक्षा के भी प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने 500 से 1000 तक की आबादी वाले सभी गांवों में कन्या विद्यालय खोलने की योजना चलाई। उन्होंने विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग हाउस के नाम से एक छात्रावास बनवाया। इस छात्रावास में निर्धन एवं दलित छात्र रहते थे। इन छात्रों को अनुदान एवं छात्रवृति दी जाती थी। सन् 1920 में जब ब्रिटिश सरकार न्यायालयों में भारतीय जजों एवं मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर रही थी, शाहू जी ने शिक्षित दलितों, पिछड़ों को प्रेरित किया तथा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जिसके आधार पर वे कचहरियों में नौकरियां पा सके।

शाहू जी महाराज अत्यंत दूरदर्शी थे, उन्होंने 1902 में अपने राज्य में सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ों एवं दलितों के लिए की। 1919 में शाहू जी ने कई सामाजिक क्रांति लाने वाली घोषणाएं की जिनमें से पहली कोई भी अछूत अस्पताल में ससम्मान प्रवेश पा सकेगा, उसके साथ सज्जनता का व्यवहार किया जाएगा, इसके पूर्व कोई भी अछूत अस्पताल में प्रवेश नहीं पा सकता था। यदि कोई भी कर्मचारी किसी भी रोगी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव बरतेगा तो उसे छः सप्ताह के भीतर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी राजाज्ञा के अनुसार प्राईमरी स्कूलों, हाई स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों में जातियों के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए। तीसरा महत्वपूर्ण आदेश था कि सभी राजकीय अधिकारी सरकारी विभागों में कार्य कर रहे दलित जाति के कर्मचारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करें तथा उनके साथ छुआछूत का व्यवहार न करें। जो अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे वे छः माह के भीतर सेवा से त्याग पत्र दे, ऐसे अधिकारी पेंशन पाने के अधिकारी भी नहीं रहेगें।

महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कर समाज में एक हलचल पैदा की 1890 में महात्मा फूले की मृत्यु के बाद यह आन्दोलन कमजोर पड़ रहा था। जनवरी 1910 को कोल्हापुर में शाहू जी महाराज को नया जीवन प्रदान किया गया। जूलाई 1913 में शाहू जी ने कोल्हापुर में एक सत्यशोधक स्कूल की स्थापना की एवं इसका संचालन धनगर जाति के शिक्षाविद् विट्ठल दोने को दिया। इस स्कूल में कर्मकाण्ड (विवाह संस्कार, तेरहवीं, वर्शी, उपनयन आदि) की शिक्षा दी जाती थी। स्कूल में शिक्षा ग्रहणकरने वाले सभी छात्र गैर ब्राम्हण जाति के थे एवं शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुरोहित का काम करते थे।

शाहू जी महाराज ने हिन्दूओं के अतिरिक्त मुसलमानों में भी शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने मोहम्मडनएजुकेशन सोसायटी को काफी जमीन एवं राजकीय सहायता दी। शाहू जी ने मुसलमानों के लिए अलग से छात्रावास बनाए एवं भारी राजकोषीय सहायता दी एवं उनका प्रबन्धन यूसूफ अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के हाथों में दिया। शाहू जी ने मुस्लिमों के लिए कुरान शरीफ का मराठी में अनुवाद भी करवाया।

शाहू जी महाराज ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा के लिए भी सहयोग किया एवं उन्हें उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए कई बार विदेश भेजा एवं लगातार आर्थिक सहयोग करते रहे। डा0 अम्बेडकर ने शाहू जी के आर्थिक सहयोग से 31 जनवरी 1920 को "मूक नायक" साप्ताहिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। मूक नायक के प्रवेशांक में आपने लिखा कि "हिन्दू धर्म एक ऐसे गुम्बद सरीखा है जिसमें कई मंजिले हैं, पर उसमें न कोई सीढी है और न ही दरवाजा और जो जिस मंजिल में पैदा होता है उसी में मर जाता है।"

सामाजिक कुरूतियों के उन्मूलन में भी शाहू जी का योदान अविस्मरणीय है । स्त्रियों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए 1912 में अपने राज्य में विधवा पुर्नविवाह कानून बनाया, स्त्रियों को उनके सभी अधिकार दिलाने की दशा में भारत में यह पहला प्रयास था। शाहू जी महाराज ने 1919 में तलाक कानून पास किया, साथ ही साथ एक कानून और बनाया जिसके अनुसार किसी पुरूष द्वारा स्त्री को प्रताड़ित किए जाने पर उसे दण्डित किए जाने की व्यवस्था थी। अस्पृष्यता उन्मूलन के लिए शाहू जी ने स्वयं आगे आकर प्रयास किए। शाहू जी जब गावों में जाते थे उन्हें शिकायत मिलती थी कि कुएं का पानी अछूतों ने गंदा कर दिया है तब शाहू जी महाराज स्वयं उन कुओं का जल पिया करते थे। शाहू जी महारों, मोंगां के हाथों से अन्न ग्रहण किया करते थे।

उनके सामाजिक उत्थान के कार्यो से उच्च वर्गीय राजकर्मियों ने महाराज के राज्य की व्यवस्था को अपंग बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री से संतरी तक के पदों पर इन वर्गो के कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। परन्तु शाहू जी ने इससे न घबराते हुए सभी के इस्तीफे सहर्ष मंजूर कर लिए। उन्होंने अपने राज्य में दलीतों एवं पिछड़ों की नई भर्ती कर राज व्यवस्था को स्थापित किया।

यह महान दलित उद्धारक, शिक्षा प्रेमी, सच्चा समाज सेवी, दलितों एवं पिछड़ों का मसीहा उनकी सेवा करते करते अल्पायु में ही 48 वर्श की अवस्था में 6 मई 1922 को प्रातः 6 बजे अपनी जीवन लीला समाप्त कर गये और अपने पीछे कभी न भरा जाने वाला शून्य छोड़ गए।

डॉ. हेमन्त कुशवाहा

AIOBC

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज इम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन

(केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अ.पि.वि. कर्मचारियों को रिप्रजेंट करता राष्ट्रीय संगठन)

प्रधान कार्यालय : 139, ब्राडवे, चेन्नई - 600108

सेवा में,

दिनांक : 20 मार्च 2009

श्री मुलायम सिंह यादव/अध्यक्ष/समाजवादी पार्टी/लखनऊ
सुश्री मायावती /अध्यक्ष/बहुजन समाज पार्टी/लखनऊ
श्री लालू प्रसाद यादव/अध्यक्ष/राष्ट्रीय जनता दल /पटना.
श्री राम विलास पासवान/अध्यक्ष/ लोक जनशक्ति पार्टी/पटना

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी विषयों का लोक सभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी घोषणा पत्र में शामिल करना

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी मुद्दों को समय समय पर केन्द्रीय सरकार के समक्ष उठाने एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम आपके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं एवं धन्यवाद देते हैं।

हम आपका विशेष ध्यान इन नेशनल फेडरेशन द्वारा ओबीसी के कल्याणार्थ किए गए कार्यों की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं जिसमें कई राज्य स्तरीय, केन्द्र स्तरीय एवं पीएसयू में कार्य करने वाले ओबीसी के कर्मचारी संगठनों का सहयोग समिल्लित है।

निसंदेह यह चिंता जनक स्थिति है कि हमारे फेडरेशन द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेताओं, संसद सदस्यों एवं आप सभी का बार बार ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी पिछली सरकार ने ओबीसी के कई मुद्दों को संसद सदन में लाने में असफल रही है।

इन सभी मद्दों के मद्देनजर फेडरेशन द्वारा 16 फरवरी 09 को नई दिल्ली में एक महत्वपर्ण मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें सभी राजनीतिक दलों को ओबीसी से संबंधित मुद्दे याद दिलाए जाने संबंधी रिजोल्यूशन पास किए गए एवं निवेदन किया गया कि ओबीसी के कल्याण हेतु आप जैसे महत्वपूर्ण राजीतिक दल अपने दलीय घोषणा पत्र में ओबीसी की समस्याओं को स्थान देंगे।

आपके नेतृत्व की सफल कामना करते हुए फेडरेशन के 16 फरवरी 09 की मीटिंग में पास किए गए रिजाल्यूशन आपके समक्ष रखतें हैं कि इन मुद्दों को सरकार द्वारा शीघ्र लागू कराने में आंपकी भूमिका अग्रणी होगी।

मीटिंग के दौरान पास किए गए प्रस्ताव :

फेडरेशन सभी राजनीतिक दलों को याद दिलाती है कि देश में ओबीसी बहुसंख्यक आबादी वाले वर्ग है तथापि निर्णायक पदों पर पूरी तरह प्रतिनिधित्व से वंचित है। यह एक प्रजातांत्रिक ढ़ांचे वाले देश में महज मजाक है।

इस संदर्भ में फेडरेशन अपनी पूरी गम्भीरता के साथ सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करती है कि वे ओबीसी के कल्याण से जुड़े निम्नांकित बिन्दुओं को अपने पार्टी मेनिफेस्टों में शामिल करें :–

(1) भारतीय संविधान की धारा 340 के अंतर्गत बनी मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें सरकार द्वारा शीघ्र लागू की जानी चाहिए। जिसमें आबीसी के विकास के सभी पहलुओं जैसे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, रोजगार, आरक्षण के अलावा निम्नांकित भी शामिल है–

क. शिक्षा में आरक्षण – निजी एवं सरकारी दोनों
ख. प्रोन्नति में आरक्षण
ग. न्यायालय में आरक्षण
घ. निजी संस्थानों में आरक्षण
ड. क्रीमी लेयर धारणा को खत्म किया जाना

(2) सरकार को आरक्षण पर लिखित कानून बनाने से संबंधित वे सभी कार्यपालकीय आदेश (Executive Orders) लाने चाहिए और नचियप्पन कमिटी की सिफारिशों के आधार पर एससी एसटी और ओबीसी के लिए पृथक आरक्षण बिल पास किया जाना चाहिए। जिसे कि यूपीए सरकार ने अपने पूर्ण कार्यकाल के दौरान संसद में लाने में असफल रही।

(3) राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग के अनुरूप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक अधिकार दिए जाने से संबंधित सार्थक संशोधन एनसीबीसी एक्ट में किए जाएं।

(4) ओबीसी के लिए संसदीय समिति का गठन शीघ्र किया जाए जिससे कि आरक्षण नीति को लागू करने से संबंधित शिकायतों और अनियमितताओं को रोका जा सके।

(5) मद्रास हाई कोर्ट के फैसले की अनुरूप ओबीसी के लिए जनगणना करायी जाए।

(6) ओबीसी के कल्याण हेतु सही बजट प्रावधान सुनिश्चित हो सके, इसके हेतु एक ओबीसी के लिए स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया जाए।

(7) संसद सदन में कार्यों के लेखा जोखा के साथ आरक्षण के प्रावधान पर सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी किया जाए।

फेडरेशन अपने सभी ओबीसी सदस्यों को अपिल करती है कि वे सजग रहें एवं पूरी गतिशिलता के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मत की निर्णायक भूमिका निभाए और उन सभी दलों का साथ दें जो पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आगे आ रहे है।

आपका विनीत

– जी.करूणानिधि
महामंत्री
E mail : aiobc@gmail.com
Cell No. : 09381007998

STATE FEDERATION OF BACKWARD CLASSES (OBC)
EMPLOYEES WELFARE ASSOCIATION, UTTAR PRADESH
(State organization representing Central state Govt. and Public Sector OBC Employees)
(Affiliated ot All India federation of Other Backward Classes (OBC) Employees Wefare Associations)
C/O Union Bank of India, Regional Office, Taksal Theatre Building, Nadesar, Varanasi PIN:221002

Appeals to all Backward Classes Associations in the State of Uttar Pradesh to come under one umbrella, Join state Federation and strengthen our unity.

Honorary President
Dr. S.S. Kushwaha
Ex. Vice Chancellor
Varanasi

Convenor Secretary
Amritanshu
aiobc.up@gmail.com
09415392194

कर्ण, एकलब्य, अर्जुन, द्रोण और परशुराम का आधुनिकबोध तथा इतिहास की दृष्टि में आरक्षण ...

– प्रचला अनुपमेय

यह लेख उन दिनों (मई 2006) में लिखा गया था जब पूरे भारतवर्ष में पिछड़ों को विभिन्न उच्च संस्थाओं यथा आई आई एम, आई आई टी, एम्स आदि में नामांकन की बात भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा उठाई गई थी। जिसपर चंद आरक्षण विरोधियों ने हल्ला मचाया जिसे आरक्षण विरोधी मीडिया ने इतना बढ़ चढ़ा कर दिखाया और लिखा कि पूरे देश में भूचाल आ गया था।

आज एक बार फिर पूरे देश में आरक्षण को लेकर बवाल मचा है। मैं इस संबंध में दोनों ही पक्षों के समर्थकों से कुछ जानना चाहती हूँ।

आज जो आरक्षण विरोधी गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि पिछड़ों, दलितों को आरक्षण देने से उनकी प्रतिभा का हनन होगा। क्या वास्तव में ऐसा ही है ?

जो आरक्षण समर्थक इस बात पर फुसफुसा रहे हैं कि उन सम्मानित संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि हम आर्थिक और सामाजिक तौर पर सदियों से पिछड़े हें। क्या वास्तव में यही सच है कि पिछड़ों दलितों की आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ही उनकी प्रतिभा भी कुंद है ?

इन दोनों तथ्यों से उलट वास्तविकता तो यह है कि इस देश में प्रचीन काल से ही सवर्णों खासकर ब्राह्मणों ने (क्योंकि उस काल में ब्राह्मणों के अधीन ही शिक्षा हुआ करती थी) पिछड़ों एवं दलितों की प्रतिभा सेचकाचौंध पिछड़ों एवं दलितों के लिए अपने संस्थानों (आश्रमों) के दरवाजे बंद कर रखा था और स्वयं अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, अपनी कुंठा, ईर्ष्या, द्वेष की आग को शांत करने के लिए मात्र राजपुत्रों को ही शिक्षा देना स्वीकारते थे।

यह कौन नहीं जानता कि द्रोणाचार्य ने –

0 कर्ण को शिक्षा क्यों नहीं दी ?क्या वह प्रतिभाहीन था। 0 एकलव्य को शिक्षा क्यों नहीं दी ?क्या वह प्रतिभाहीन था।

नहीं, इतिहास गवाह है कि, ये दोनों विश्व के सर्वश्रेष्ठ धुनर्धरों में आते है।। फिर ऐसे श्रेष्ठ छात्रों को जाति के नाम पर छोड़कर उन उदंड–राजपुत्रों को शिक्षित करना क्या आदर्श शिक्षक के आचरण में आता है।

द्रोणाचार्य ने, एकलव्य का अंगूठा गुरू दक्षिणा में मांग कर, तो शिक्षकों को चुल्लु भर पानी में डूबने के लायक भी नहीं रहने दिया। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा दी ही नही तो फिर गुरू दक्षिणा किस बात की ? क्या वह गुरू दक्षिणा द्रोणाचार्य ने अपनी कुंठा दबाने के लिए, अपनी क्षेप मिठाने के लिए तथा इस भय से ग्रस्त होकर नहीं मांगा था कि उनका तथाकथित सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अर्जुन की प्रतिभा की कहीं पोल न खुल जाय और द्रोणाचार्य को बेरोजगार हो पुनः भटकना न पड़े ?

क्या द्रोणाचार्य का यह आचरण एक तथाकथित योग्यतम शिक्षक का है, या एक इर्ष्यालु, द्वेष व्यक्ति का ?यह एक अति विचारणीय विषय है। यदि एकलव्य का अंगूठा रहता तो क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते ?

आजादी के बाद इस देश में इसी शिक्षक द्रोणाचार्य के नाम से खेल प्रशिक्षकों को एवार्ड दिए जाते हैं और आश्चर्य की बात है खेल प्रशिक्षक भी बिना द्रोणाचार्य के आचरण एवं नैतिकता के बारे में जाने उस एवार्ड को ग्रहण कर गौरवान्वित महसूस करते है।

भारत वर्ष की तत्कालीन ब्राह्मणवादी सरकार द्वारा चलाए गए इस एवार्ड से क्या उस सरकार की द्रोणाचार्यवादी मंशा प्रकट नहीं होती, कि आज भी प्रतिभाशाली पिछड़ों, दलितों का प्रवेश उन शिक्षण संस्थानों में रोकने हेतु द्रोणाचार्यों की व्यवस्था जारी है।

इस देश में एक और महान धनुर्धर शस्त्रधारी हुए परशुराम जिनकी खुलेआम घोषणा थी कि वे मात्र ब्राह्मणों को ही शिक्षित करेंगे, किसी अन्य जाति को नहीं(अपवाद : भीष्म पितामह एवं झूठ बोलकर मात्र कर्ण ने शिक्षा पायी)। क्या यह ब्राह्मणों का आरक्षण नहीं था ? ब्राह्मणों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं थी, जिससे मात्र उनकी तथाकथित प्रतिभावों का ही जबरदस्ती प्रदर्शन कर आमजन के मन में यह धारणा बैठाकर कि देखों मैं ही प्रतिभाशाली हूँ, आमजन को गुमराह किया जाता रहा।

रही सही कसर तो हस्तिनापुर के उस प्रांगण में पूरी कर दी गयी जहां शस्त्र संचालन एवं अन्य विधाओं की खुली प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी थीं। कर्ण के उस प्रांगण में प्रवेश करते ही क्यों प्रतिभाशाली द्रोणाचार्य एवं उनके अतिप्रतिभाशाली अर्जुन की घिग्घी बंध गयी ? उन्हें अपनी तथाकथित प्रतिभा बचाने के लिए एक बार फिर जाति का ही सहारा लेना पड़ा। कर्ण ने तो ललकार कर कहा जाति पूछना हो तो पूछो मेरे इस भुजबल से (रश्मिरथि) यह घटना क्या यह साबित नहीं करती है कि दरअसल सदियों से आरक्षित सवर्ण (खासकर ब्राहाण) ही रहे हैं। पिछड़े और दलित तो कल भी और आज भी खुले आसमान के नीचे सड़कों पर दिन रात गुजारते हैं, लेकिन सवर्ण अपने कंक्रीट की दीवारों के भीतर लोहे के मोटे मोटे फाटकों के अंदर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझतें इसलिए उन्हें सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता होती है।

क्या आज तक किसी सवर्ण ने इतिहास में या अन्यत्र द्रोणाचार्य, परशुराम एवं उन सरीखे आधुनिक द्रोणाचार्यों, परशुरामों की निन्दा की ?क्या यह स्पष्ट नहीं करता कि आज भी सवर्ण (जिसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा ब्राह्मण ही लाभान्वित हैं) उस द्रोणाचार्यवादी, परशुरामवादी व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं ताकि द्रोणाचार्यों, परशुरामों की छत्रछाया में अपने आप को प्रतिभावान साबित करते रहें। वास्तव में इस देश में प्राचीन काल से चली आ रही ब्राह्मणवादी (वर्चस्ववादी) परम्परा ही उनके आरक्षण विरोध का मूल कारण है। यदि उन दिनों (महाभारत काल) से ही पिछड़ों, दलितों की प्रतिभावों को छल,बल से दबाया नहीं गया होता तो आज ये तथाकथित प्रतिभाशाली सवर्ण किसी भी संस्था में स्वयं अपने लिए आरक्षण मांग रहे होते।

आधुनिक भारत में बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर ब्राह्मण या सवर्ण थे ?क्या उनकी प्रतिभा उस समय के सभी तथाकथित प्रतिभाशाली जातियों से अधिक थी या कम थी ?भिखारी ठाकुर की साहित्यिक और रंगमंचीय कला के क्षेत्र में प्रतिभा क्या किसी सवर्ण के प्रमाण पत्र की मोहताज है ?लेकिन क्या इन दो आधुनिक एकलव्य और कर्ण को विद्यालयों में आसानी से प्रवेश मिल पाया था ? भिखारी ठाकुर को तो जातिगत प्रताड़ना के कारण एक महीने के भीतर विद्यालय छोड़ देना पड़ा था। इस जातिगत कटुता को कथाकार संजीव ने अपनी पुस्तक सूत्रधार में बखूबी उकेरा है। भिखारी ठाकुर ने उसी समय यह जान लिया था कि पिछड़ों, दलितों की शिक्षा के लिए अलग से पाठशाला होना चाहिए एवं उसमें मास्टर पंडीजी नहीं नान्हे जात का होना चाहिए। (सुत्रधार पृष्ठ–25, भगवान साहु, भिखारी ठाकुर एवं घुलेटन दुसाध के बीच वार्ता)।

द्रोणाचार्य की यह प्रथा (सवर्ण छात्रों को पिछड़ों एवं दलितों की प्रतिभा से पराजित होने से बचाने के लिए हर तरह का उपाय करना) आज भी जारी है। आप हिन्दी प्रदेशों खासकर विहार के किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक एवं परा स्तानक स्तर के आज तक के परीक्षाफलों को देख सहज निर्णय कर सकते है। कि वास्तव में सवर्ण जितना चिल्लाते है क्या उतना ही प्रतिभाशाली भी है ? सभी विश्वविद्यालयों के लगभग सभी विभागों में टॉप करने वाले छात्र उस विभाग के विभागाध्यक्ष की ही जाति के होते रहे हैं। सवर्ण छात्रों के अंकपत्रों को देख यह पुष्टि की जा सकती है कि सवर्ण छात्रों के सैद्धांतिक पत्रों में प्राप्तांक 30 से 40 प्रतिशत तक रहने पर भी उनके प्रायोगिक पत्रों में 90 से 98 प्रतिशत अंक मिलने के आधार पर उन्हें फर्स्ट क्लास मिलता रहा। ठीक उसके विपरीत पिछड़े, दलित छात्रों के सैद्धांतिक विषयों में अच्छे अंक रहने के बावजूद उन्हें प्रायोगिक परीक्षाओं में निम्नतम अंक देकर उन्हें लगातार निचली श्रेणियों सेकेण्ड या थर्ड क्लास में ठेला जाता रहा। इसका दुष्परिणाम यह रहा कि अंक (तथाकथित मेधा) आधारित नौकरियों से पिछड़ों एवं दलितों को बाहर रहना पड़ा और दूसरे, तीसरे दर्जे की नौकरी से अपने आप को संतुष्ट करना पड़ा। उनमे स्वयं तो कुंठा आयी ही उनके बच्चे उनसे ज्यादा कुंठित हुए। इसी कुंठा के कारण पिछड़ों, दलितों ने अनेक बच्चों को बी0ए0, बी0एस0सी0 इत्यादि करने पर लगभग रोक लगा दी। इस तरह सवर्णों की चाल सफल रही कि अंक आधारित नौकरियों में उनका एकाधिकार बरकरार रहा और उनका दुश्चक्रीय चक्र चलता रहा।

मैं पूछती हूँ कि ये न्यायवादी सवर्ण यदि प्रतिभा के इतने ही हित रक्षक हैं तो द्रोणाचार्य सरीखे शिक्षकों के विरूद्ध क्यों नहीं आवाज उठाते, अदालतों का दरवाजा खटखटाते जो खुलेआम पिछड़ों, दलितों की प्रतिभा का गला घोटते हैं और सवर्ण को प्रायोगिक परीक्षओं, साक्षात्कार इत्यादि के माध्यम से पिछले दरवाजे से प्रवेश कराते हैं।

क्या वास्तव में पिछड़े और दलित प्रतिभाहीन होते हैं ?

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ अपवाद छोड़कर सभी शिशुओं में बौद्धिक क्षमता लगभग समान होती है। फिर प्रतिभा में जातिगत अंतर कहां से कब से और कैसे आता है ? यह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विश्लेषण का विषय है। पिछड़े दलितों और उनके तथाकथित रहनुमाओं को इन्हीं विन्दुओं का सही विश्लेशण कर उनका उचित उपचार खोजना चाहिए न कि मात्र ऊंचे मंचों से उन्हें बरगलाने वाले सगूफे छोड़ने चाहिए।

हावर्ड गार्डनर ने पाया है कि हम सभी (धर्म,जाति रहित) मात्र एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं रखते बल्कि सभी बहु बुद्धि वाले होते है। शाब्दिक,तार्किक,चित्रात्मक,रागात्मक,शारीरिक,सामाजिक,अंर्तबोधि और प्राकृतिक।

वास्तव में पिछड़े और दलित बचपन से ही अपने सामाजिक परिवेश के कारण दब्बू स्वभाव के होते हैं इसलिए इन दो क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं फलतः वे विद्यालयी, महाविद्यालयी पढ़ाई में रूचि नहीं लेते और असमय विद्यालय छोड़ देते हैं। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्थाअंक आधारित डिग्री हासिल करने की है। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि की ही आवश्यकता होती है, इसलिए प्रतिभा रहते हुए भी दब्बूपन के कारण पिछड़े एवं दलित प्रतिभाहीन करार दिए जाते हैं।

Congratulation ...

We are profoundly announce and congratulate the people of ORISSA that very successfully they have set up their state body of backward classes people in a General Body Meeting held on 19-04-09

UNION BANK BACKWARD CLASSES (OBC) EMPLOYEES WELFARE ASSOCIATION, ORISSA

(Affiliated of All India Union Bank Backward Classes (OBC) Employees Welfare Association)
C/o Union Bank of India, CDA Branch, Sector 6, Katak, Pin : 751014, M : 9338190670

In the meeting the below named office bearers have been nominated.
President : **Mr. Bhagwan Pradhan ,** Vice President : **Mr. H.K. Sahoo**, General Secrtary : **Mr. P. K. Sahoo**
Asstt. Secretary : **Mr. M. S. Samal** and 10 Central Committee members.
We wish the association a successful journey to the welfare of downtrodden people....

क्रीमी लेयर एवं आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य....

न्यायमूर्ति एस रत्नवेल पांडियन द्वारा दिया गया फैसला
इंदिरा साहने केस 1992 (मंडल कमीशन केस) से साभार

जस्टिस आर.एस.रत्नवेल पांडियन
अध्यक्षः राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(क) पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कुछ सीटें उनमें से अधिक सक्षमों द्वारा छीन ली जाती है, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आरक्षण जरूरी नहीं है। यह हमारे जैसे प्रतिर्स्पधात्मक समाज में अवश्यम्भावी है। क्या ऐसा नहीं है कि अनारक्षित सीटों एवं पदों में इसी तरीके से उपरी क्रीमी लेयर मेरिट के इसी सिद्धांत के अन्तर्गत सीटों को छीनता है। तब यह किस तरह गलत हो सकता है कि आरक्षित सीटें पिछड़ी जातियों के क्रीमी लेयर द्वारा ले जाती है, जब कि इसी तरह का व्यवहार अनारक्षित पदो के उच्च क्रीमी लेयर में गलत नहीं है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ।

(पैरा 225 एवे 226)

(ख) संविधान के स्वीकार के लगभग 42 वर्षो बाद सरकार ने आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की नीति को लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। कुछ राज्यों ने अब तक नागरिक रोजगार के दिशा में ओबीसी के लिए आरक्षण संबंधी कोई नीति जारी नहीं की है। (पैरा 221)

- आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह एक तरीका है जिससे कि सामाजिक पिछड़ापन दूर किया जा सके, जो कि सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक परिस्थितियों से पैदा हुई है।
- अमेरीकी सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि पिछड़ापन जाति आधारित है तो उसे दूर करने के साधन भी जाति आधारित होगें।
- उच्च जातियां क्रीमी लेयर लागू करवाने की ज्यादा इच्छुक हैं क्योंकि वो पिछड़ों की उपरी तबके की बढ़ती ताकत से परेशान हैं, जो कि प्रतिर्स्पधा करती हैं। पिछड़ों और दलितों का निम्नवर्ग उच्च पदों पर उच्च जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने में सक्षम नहीं है।
- केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण सितम्बर 1993 से लागू किया गया। उन राज्यों में जहां स्वतंत्रता के पहले से ही आरक्षण है, वहां भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं किया है, इसके बावजूद ऐसे राज्यों में सामाजिक संरचना में असंतुलन जैसी कोई चीज नहीं पैदा हुई है।
- केन्द्र सरकार के श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 अधिकारी वर्ग में ओबीसी की तीसरी या चौथी पीढ़ी स्पर्धा कर सकने में सक्षम है। लेकिन केवल क्रीमी लेयर का सिद्धांत की वजह से उन्हें आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा तब सामाजिक न्याय की दूरगामी सोच पराजित हो जाएगी।
- पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी (नचियप्पन कमेटि रिपोर्ट) की 8 वीं रिपोर्ट 26 जुलाई 2005 को सरकार को सौंपा गया जिसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत को पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की गई है।

क्रीमी लेयर पर एक्सपर्ट कमेटि की खामियां

- सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहने केस (मंडल जजमेंट) में कहा कि क्रीमी लेयर के वर्ग को आरक्षण से बाहर किया जाय। यह अनारक्षित स्पर्धा सहित सामान्य वर्गो के लिए लागू नहीं किया गया।
- 22.02.1993 को केन्द्र सरकार ने जस्टिस आर.एन.प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने 23.02.1993 को कार्यभार संभाला और अपनी रिपोर्ट 10.03.1993 को सौंप दी।
- इस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया लेकिन इसे आम जनता तक नहीं लाया गया।
- यह आश्चर्य एवं पीड़ादायक स्थिति है कि कमेटी अपने केवल 4 सदस्यों (अध्यक्ष सहित) ने 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार कर ली। इतना बड़ा विषय, जिससे देश का बहुसंख्यक प्रभावित होगा, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी भी सामाजिक संगठनों से विचार के इस संवेदनशील मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई।
- इसके अलावा यह भी अचम्भित करने वाला तथ्य है कि किसी भी राज्य सरकार से विशेषकर दक्षिण के राज्य सरकारों से जहां आरक्षण दशकों से लागू है, किसी भी विचार के लिए सलाह नहीं ली गई।
- इसके अलावा इस रिपोर्ट को सरकारी दफ्तरों को भी सुलभ नहीं कराया गया जहां से क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्र निर्गत होते हैं। स्थिति यह है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी कार्यालय 12 वर्षो तक सितम्बर 2003 तक अस्पष्ट जानकारी के काम करते रहे। अधिकारियों ने योग्य ओबीसी पात्रों को प्रमाण पत्र देने से इंकार किया। हम यह जान सकते हैं कि ओबीसी के पदो के संदर्भ में सभी विभागों में बैकलॉग की स्थिति कितनी चिंताजनक है।

क्रीमी लेयर के संबंध में पुनः अन्य लेख, तथ्य, टिप्पणियां अगले अंक में

यूनियन बैंक द्वारा अधिकारी वर्गों में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों हेतु अंतर विभागीय प्रोन्नित परीक्षा के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण
एसटीसी, लखनऊ - दिनांक 18 फरवरी से 21 फरवरी 2009 तक

मनीष कुमार द्वारा उपमहाप्रबंधक एनआरओ लखनऊ श्री वी.पी. डिमरी का स्वागत। बीच में महामंत्री श्री अमृतांशु

उपाध्यक्ष नवीन कुमार यादव द्वारा सहायक महाप्रबंधक एवं ओबीसी हेतु संपर्क अधिकारी एफजीएमओ लखनऊ श्री अनिल कपूर का स्वागत

निरंजन कुमार द्वारा फैकल्टी एवं मुख्य प्रबंधक श्री रमाशंकर द्विवेदी का स्वागत

मीनाक्षी सुंदरम द्वारा वरिष्ठ फैकल्टी एसटीसी लखनऊ श्री अखिलेश्वर चौधरी का स्वागत

मनोज कुमार द्वारा मुख्य प्रबंधक कार्मिक, लखनऊ श्री राजू वाइकुल का स्वागत

निरंजन कुमार द्वारा फैकल्टी श्री नारायण मूर्ति का स्वागत

महामंत्री श्री अमृतांशु द्वारा फैकल्टी श्री कल्याण कुमार का स्वागत

सभी प्रतिभागियों के साथ सहायक महाप्रबंधक एवं ओबीसी के संपर्क अधिकारी, श्री अनिल कुमार, अंचलीय कार्यालय लखनऊ

दाहिने से - श्री वी.पी. डिमरी, श्री रमाशंकर द्विवेदी, श्री राजू वायुकूल, श्री अमृतांशु एवं श्री नवीन कुमार यादव

दाहिने से - श्री नारायण मूर्ति, श्री कलिम कपूर, श्री अमृतांशु, श्री अखिलेश्वर चौधरी एवं श्री कल्याण कुमार

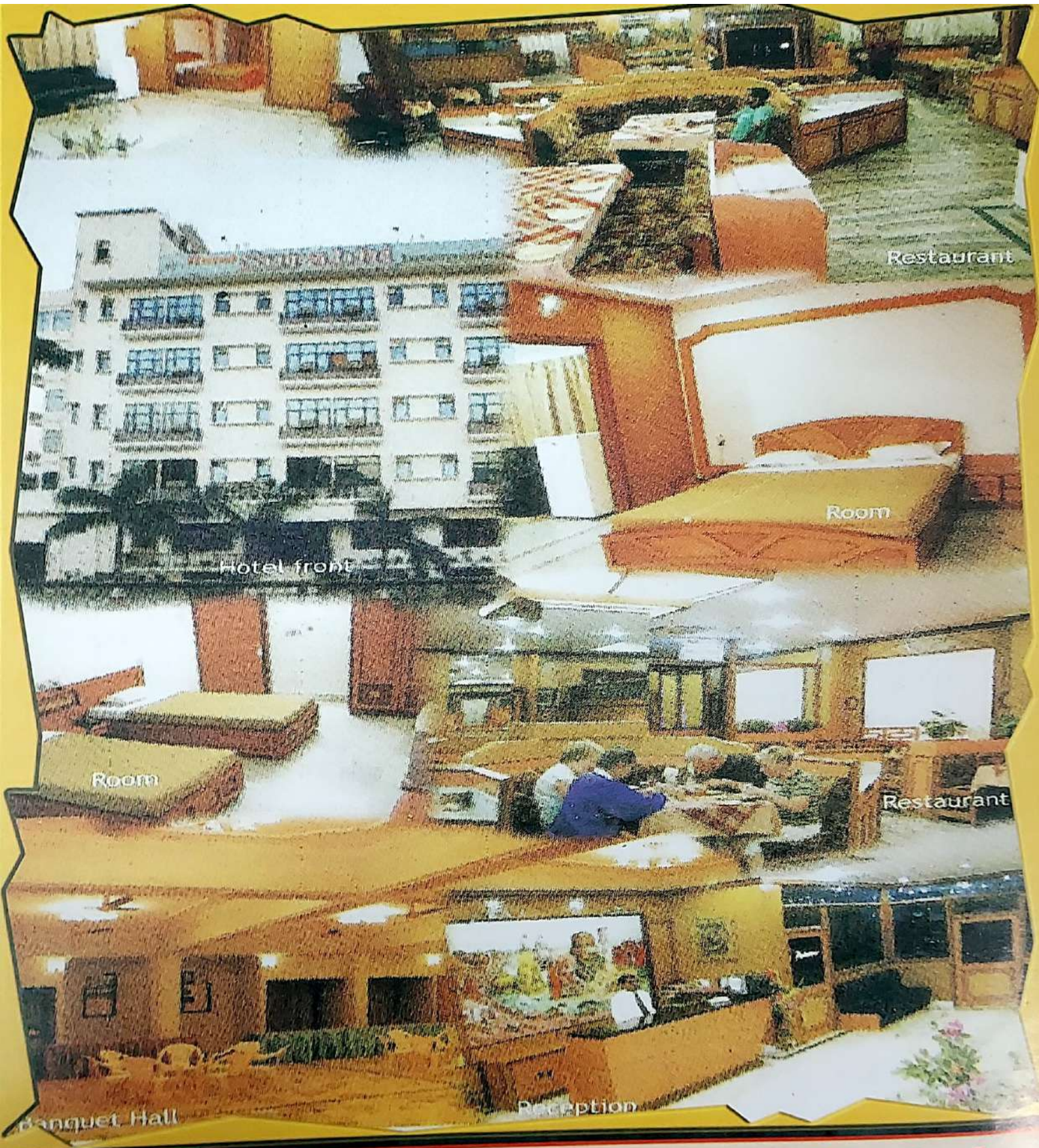

Surabhi International Hotel

Paharia,Sarnath Road, Varanasi

Ph: 0091-542-2587993,2587600,2587601, Fax : 0091542-2587992

Website : www.hotelsurbhi.com

E-mail : hotelsurbhivns@rediffmail.com, info@hotelsurbhi.com